

**न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)****पीठासीन अधिकारी - आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 030/2025(रा.प्रा.प.) (GCMS 2025/30)	दायर दिनांक 17.02.2025	निर्णय दिनांक 26.11.2025
---	---------------------------	-----------------------------

**अनवान**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रार्थी****बनाम**

शारदाबाई पिता मोतीलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**अप्रार्थी**

उपस्थिति :- भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)  
छोगालाल जाट

प्रार्थी  
विपक्षी

**निगरानी अन्तर्गत नियम 14 (04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी भू-आवंटन कमेटी निम्बाहेडा बमिसल संख्या 755/2021 दिनांक 17.12.2021**

**--:: निर्णय ::--**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा ने एक प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार की और से राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि-प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत खिलाफ विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी को मौजा बेणीपुरिया तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 296 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म भूमि मंगरी के संबंध में भू-आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। विपक्षी का उक्त आवंटित आराजीयात पर आज दिनांक तक कब्जा काशत नहीं रहा है। विपक्षी का कब्जा नहीं होते हुए भूमि आवंटन करने में भूल की थी, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है, अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 01.04.2025 को विपक्षी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा की मूल अभिलेख



पत्रावली प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार के पत्रांक/अभिलेखागार/2025/848 दिनांक 24.03.2025 से प्राप्त हुई है जो कि पत्रावली के साथ हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 10.09.2025 को विपक्षी की ओर से जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में उभयपक्षकारान की सहमति से स्थगन प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही स्थगित की जाकर प्रकरण में बहस मूल पत्रावली उभयपक्षकारान को सुना गया।

सर्वप्रथम विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण को मौजा बेणीपुरिया तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 296 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म भूमि मंगरी के संबंध में भू-आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। विपक्षी का उक्त आवंटित आराजीयात पर आज दिनांक तक कब्जा काशत नहीं रहा है। विपक्षी के आवंटन कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी किसी भी स्थिति में आवंटन के पात्र नहीं है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर जवाब प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि भू-आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी को आवंटन नियमों के अधीन किया गया है, जो किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता है, उक्त प्रकरण में भू-आवंटन में किसी प्रकार की धोखेबाजी व गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा आवंटन विधि अनुसार किया गया है। प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा स्वयं आवंटन का पात्र माना जाकर आवंटन कमेटी में सदस्य के रूप में आवंटन की अनुशंषा की गई है। प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा कब्जे नहीं होने का गलत तथ्यों को आधार बनाकर आवेदन पेश किया है। विपक्षी आवंटन की पूरी पात्रता रखते है।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में सरकार द्वारा भूमिहीन कृषको को अभियान अन्तर्गत ही भूमि आवंटन के आदेश थे और उस अनुसार भू-आवंटन सलाहकार समिति की पूर्ण बैठक में आवंटन का आदेश पारित किया गया है जो किसी भी प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।

आवंटन कमेटी द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाकर विपक्षी का आवेदन लेकर मौके की रिपोर्ट पटवार हल्का तलब की गयी तथा आवंटन कमेटी की राय लेकर विपक्षी भूमिहीन कृषक होने से भूमि आवंटित की गयी है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के तहत आवंटन निरस्त होने के जो आधार कानून में दिए गए है कि आवंटन कपटपूर्वक हो, दुर्व्यपदेशन से हो या नियम विरुद्ध हो या आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की हो तभी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटी को आवंटन होने के बाद विधिवत् कब्जा सिपुर्द किया गया है, जो रेकार्ड पर है। आवंटी ने किसी भी तरह आवंटन शर्तों को भंग नहीं किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गुमानसिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य RRD 1998 पेज संख्या



445 पर प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी राजकीय भूमि यदि किसी अतिक्रमी के कब्जे में हो तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(36) एवं आवंटन नियमों के अन्तर्गत **Unoccupied land available for allotment** माना गया है, और यदि कोई नियम 20 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के यहां नियमन के लिए आवेदन न करे तो किसी अन्य भूमिहीन को किये गये आवंटन को निरस्त कराने का अधिकार नहीं है।

विपक्षी को किया गया आवंटन पूर्णतः विधि अनुसार व नियमों के अनुसार किया गया है। आवंटन निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं है। अंत में प्रार्थना की गई कि विपक्षी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मय हर्जे-खर्चे खारिज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 1998 पेज संख्या 445, RRT 2006-07 एसयूपी पेज संख्या 122, RRT 2058 पेज संख्या 299, RRT 2052(1) पेज संख्या 652 व RBJ 2005(12) पेज संख्या 113 का अवलोकन कराया।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि विपक्षी सद्भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकूल भूमि आवंटित की है। ग्रामवासियान बेणीपुरिया को न तो आवंटन की सूचना दी गई न उनको सुनाया गया। आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई और ना ही उक्त आराजीयात के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। बिना जांच-पडताल के उक्त बिलानाम आराजीयात का विपक्षी को आवंटन आदेश पारित कर दिया है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें। इसी ईशतदुआ से साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस का मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :-

**101. Allotment of land for agricultural purposes** – (1) Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.

(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.

(3) XXX delted XXX]

(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –



- (i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated from the same source, preference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);
- (ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;
- (iii) by drawing lots:]

Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.

**14. Condition of Allotment. –**

- (4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है आवंटन आदेश के कॉलम संख्या 3 के उप-कॉलम 3 में आवंटिती द्वारा भूमि के अनाधिकृत अधिभोग की समयावधि 03 वर्ष अंकित की गई है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी इत्यादि नहीं है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा रहा हों, इसके साथ ही अप्रार्थी के आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन में रिपोर्ट पटवारी कॉलम संख्या 13 अप्रार्थी को आवेदित भूमि पर अतिक्रमी नहीं होना अंकित किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य विरोधाभासी है। इससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रतिवेदित होता है कि उक्त आराजीयात पर आवंटिती का आवंटन से पूर्व कब्जा नहीं रहा है। इसके साथ ही प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित तथ्यों के समर्थन में श्री गोपाललाल जीनगर, तत्कालीन तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपना अखण्डित शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त तथ्यों के प्रति-उत्तर में विपक्षी द्वारा काउन्टर शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रतिवेदित होता है कि उक्त आराजीयात पर आवंटिती का कब्जा नहीं है।

अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अधिसूचना जारी होने का तथ्य उठाया एवं इस संबंध में दस्तावेज का अवलोकन कराया गया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की मूल अभिलेख पत्रावली पर उक्त अधिसूचना एवं अधिसूचना के प्रसारण के संबंध में कोई भी युक्ति-युक्त दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि भूमि आवंटन किये जाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 5 व 6 की समुचित पालना की गई हैं। नियमानुसार आवंटन नियम 6 के अन्तर्गत नियम 5 में अनाधिकृत सरकारी भूमियों, सिंचित एवं असिंचित दोनों की प्रपत्र 1 में तैयार सूची का अपवर्जन



तथा आरक्षण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई भी युक्ति-युक्त दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 7 के तहत आवंटन के लिये आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने की उद्घोषणा जो कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 61 के प्रावधित रीति से प्ररूप-2 में पन्द्रह दिवसीय कालावधि हेतु जारी किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है एवं उक्त राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों में आज्ञात्मक प्रावधान है जिनकी समुचित पालना किया जाना आवश्यक है, किन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई भी समुचित दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त आवंटन की पूर्ण प्रक्रिया दूषित होना प्रकट होता है। इस प्रकार हस्तगत आवंटन विधि अनुसार प्रावधित पूर्ण प्रक्रिया से नहीं किया जाना न्यायालय के समक्ष प्रमाणित पाया जाता है।

न्यायिक दृष्टांत RRT 2006-07 एसयूपी पेज संख्या 122, से माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि कपट अथवा दुर्व्यपदेशन के द्वारा आवंटन प्राप्त करने का आरोप नहीं-सलाहकार समिति की अनुशंसा पर आवंटन किया गया, निर्णय की आधिकारिता में त्रुटि नहीं है व यथावत् रखा, जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार द्वारा अपने आवेदन में आवंटित भूमि पर विपक्षीगण द्वारा आज दिनांक तक कब्जा-काश्त नहीं होना अवगत कराया गया है, जो कि आवंटन किये जाने की प्रमुख शर्त है, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत विपक्षी के तर्कों के बल प्रदान नहीं करता है।

न्यायिक दृष्टांत RRT 2058 पेज संख्या 299 द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि खातेदारी अधिकार प्रदत्त होने के बाद आवंटन निरस्त करना न्यायोचित नहीं है, जबकि हस्तगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है वर्तमान में विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये है एवं विपक्षी वर्तमान में गैर-खातेदार दर्ज रेकार्ड है, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत विपक्षी के तर्कों के बल प्रदान नहीं करता है।

न्यायिक दृष्टांत RRT 2052(1) पेज संख्या 652 द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अतिक्रमी के कब्जे में भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध मानी जायेगी। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत में RRD 1998 पेज संख्या 445 में प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी राजकीय भूमि यदि किसी अतिक्रमी के कब्जे में हो तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(36) एवं आवंटन नियमों के अन्तर्गत (Unoccupied land available for allotment) के लिये उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत विपक्षी के तर्कों के बल प्रदान नहीं करता है।

न्यायिक दृष्टांत RBJ 2005(12) पेज संख्या 113 द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि खातेदारी अधिकार प्रदत्त होने के बाद तकनीकी आधार पर आवंटन निरस्त करना न्यायोचित नहीं है,



जबकि हस्तगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है वर्तमान में विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये हैं एवं विपक्षीगण वर्तमान में गैर-खातेदार दर्ज रेकार्ड है। इसके साथ ही प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अखण्डित शपथ-पत्र के माध्यम से स्वयं इस तथ्य को अवगत कराया गया है कि विपक्षी का आवंटित भूमि पर कब्जा-काश्त नहीं होकर विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जा रही है। जिससे उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य एवं स्थिति हस्तगत प्रकरण से मेल नहीं खाते है, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत विपक्षी के तर्कों के बल प्रदान नहीं करता है।

इसके साथ ही आवंटी को भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमि आवंटन के संबंध में कब्जा सिपुर्दगी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि प्रकरण में यह तथ्य सर्वमान्य है कि उक्त आवंटन आराजी संख्या 296 रकबा 1.46 हैक्टेयर भूमि में से विपक्षीगण को आवंटित 0.20 हैक्टेयर भूमि के संबंध में कब्जा सिपुर्द किये जाने बाबत् पर्चा मौका कब्जा सिपुर्दगी महत्वपूर्ण ठोस दस्तावेजी साक्ष्य है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

इसके साथ ही आवंटित भूमि पर विपक्षी कब्जा एवं आवंटन शर्तों की पालना के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य विपक्षी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके की विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जाकर आवंटित भूमि पर कब्जा-काश्त है। यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। केवल मात्र मौखिक कथन किये जाने से यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, जबकि प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा मुख्य रूप से विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने का ही तथ्य उठाया गया है।

इसके साथ ही विपक्षी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRD 1998 पेज संख्या 445 से प्रतिपादित सिद्धांत के संबंध प्रार्थी के आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(04) में प्रावधित किया गया है कि जिला कलक्टर को स्वयं संज्ञान से भी किसी आवंटन की जांच/सुनवाई करने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त माननीय न्यायालय द्वारा (Unoccupied land available for allotment) का आवंटन हेतु उपलब्ध होने का तथ्य स्वीकार योग्य है एवं शेष तथ्य उक्त प्रकरण में पूर्ण रूपेण चस्पांगी नहीं होते है।

हस्तगत प्रकरण में विपक्षी को भूमि का आवंटन विधिवत नहीं किया जाना प्रमाणित पाया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 755/2021 दिनांक 17.12.2021 में त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं विपक्षीगण का आवंटन एवं उक्त आवंटन आदेश की पालना में मौजा बेणीपुरिया पटवार हल्का



सरसी तहसील निम्बाहेडा का नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 07.02.2022 को निरस्त जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(04) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 को स्वीकार किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 755/2021 दिनांक 17.12.2021 का आवंटन एवं उक्त आवंटन आदेश की पालना में मौजा बेणीपुरिया पटवार हल्का सरसी तहसील निम्बाहेडा का नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 07.02.2022 निरस्त किया जाता है, एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 755/2021 दिनांक 17.12.2021 से आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के लौटाया जावे। तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्णय की प्रमाणित प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **26.11.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)  
जिला कलक्टर,  
चित्तौड़गढ़

